सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 08/12 निर्णय दिनांकः—26.03.2018

1. बुलाकी पुत्र कुन्दनाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।
2. जयकिशन पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30—12—2011
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः
1. श्री प्रेम मदान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30—12—2011 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निरस्त फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि वाके ग्राम किसमीदेसर का वादी संवत् 2011 से काश्तकार है तथा मौके पर कब्जा वादी का है। विवादित भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण आराजीराज दर्ज कर दी गई। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के संबंध में गिरदावरियॉ, पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर के रिकार्ड भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वादी का दावा खारिज कर दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भू—माफिया किस्म का व्यक्ति है। जिसके द्वारा अपीलांट की जायदाद को हड़पने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही की जा रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने भट्टे की जमीन पर कब्जा कर रखा है अब वह मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जबकि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मिलान क्षेत्रफल हेतु सूची नम्बर 4 प्रस्तुत की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि से संबंधित सभी तथ्य साक्ष्य से संबंधित है। ऐसी दशा में अदालत मातहत को नियमानुसार वाद के संबंध में तनकीयात् कायम करते हुए, साक्ष्य व सबूत प्राप्त करते हुए तनकीवार/साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है ना की सरसरी तौर पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। इस संबंध में विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहॉ मामलें का निस्तारण गुणावगुण पर तनकीयात कायम करके साक्ष्य लेकर किया जाना हो वहॉ आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी के वाद में न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का जवाब लिया गया। अदालत मातहत के समक्ष चूंकि वादगत् भूमि पुनः राजस्व क्षेत्र में आ चुकी है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में अपीलांट/वादी का नाम पुनः रिकार्ड में आना चाहिए था। रिकार्ड के तमाम रख—रखाव की

कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अर्थात स्टेट की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजीराज भूमि को वापस अपीलांट के नाम से दर्ज नहीं किये जाने के कारण रिकार्ड दुरूस्ती के लिए धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत चाराजोई की गई थी। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व स्टेट का कोई जवाब पत्रावली पर नहीं लिया गया।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए मात्र औपचारिकता पूर्ण तरीके से अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे मामलें में जवाब दावा व साक्ष्य लेकर पुनः विधिवत् निर्णय पारित करें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1990 पार्ट II पेज 47, डीएनजे 2012 पार्ट II पेज राज. 806, डीएनजे 2012 पार्ट III राज. पेज 1407, डीएनजे 2014 पार्ट IIII राज. पेज 1461, डीएनजे 2013 पार्ट III राज. पेज 1166, डीएनजे 2012 पार्ट II राज. पेज 806, डीएनजे 2012 पार्ट II राज. पेज 827, डीएनजे 2017 पार्ट I राज. पेज 136, डीएनजे 2017 पार्ट I राज. पेज 351, डीएनजे 2014 पार्ट I राज. पेज 53, डीएनजे 2014 पार्ट I राज. पेज 62, सीसीसी 2017 पार्ट I राज. 552, डीएनजे 2012 एससी पेज 683, डीएनजे 2009 पार्ट I राज. 231 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् की आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वादी ग्राम किसमीदेसर के खसरा नम्बर 43 तादादी 4 बीघा का टीनेन्ट नहीं है ना ही इस संबंध में कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है। केवल एक गिरदावरी प्रस्तुत की गई है। जिसमें खसरा नम्बर 43 की गिरदावरी के केवल मात्र एक जगह नाम है। जबकि दावा गत् खसरा नम्बर का प्रस्तुत किया गया है। खसरा नम्बर 43 से कई नम्बर बने है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष सवंत् 2011 से वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अपीलांट/वादी को अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत करना था। अपीलांट/वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर उसका कब्जा काश्त साबित होता हो ना ही अपीलांट/वादी द्वारा अपने वाद पत्र में ऐसा कोई उल्लेख किया गया है। जिससे साबित हो की अपीलांट/वादी वादगत् भूमि का टीनेन्ट रहा हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी को वादगत् भूमि का टीनेन्ट हुए बगैर किसी प्रकार के हक हकूक प्राप्त नहीं होते है।

अपीलांट/वादी को गत् खसरा नम्बर 43 का किसी प्रकार का कोई टीनेन्ट नहीं होने के कारण दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा अपने वादपत्र में जो खसरा नम्बर अंकित किये गये है वह वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है तथा मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं होने से राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित नहीं होने से अदालत मातहत द्वारा दावा बार्ड बाई लॉ होने से व अपीलांट/वादी को वादगत् भूमि के बाबत् कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं होने से वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30—12—2011 जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का दावा अदालत मातहत द्वारा आदेश 7 नियम 11

सीपीसी के तहत खारिज किया गया है के विरुद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत को नियमानुसार वाद के संबंध में तनकीयात् कायम करते हुए, साक्ष्य व सबूत प्राप्त करते हुए तनकीवार/साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है ना की सरसरी तौर पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत नहीं किया गया।

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट/वादी ने ग्राम किसमीदेसर के खसरा नम्बर 43 तादादी 4 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित करने की इस्तदुआ की गई है। अपीलांट/वादी द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि वादगत् भूमि पर संवत् 2011 से कब्जा काश्त रहा है। वादगत् भूमि का टीनेन्ट हुए बगैर अपीलांट/वादी को वादगत् भूमि के संबंध में कोई अधिकार हासिल नहीं होते है।

(4) अपीलांट/वादी द्वारा वादगत् भूमि ग्राम किसमीदेसर के खसरा नम्बर 43 बाबत् भू—प्रबन्ध विभाग के बाद नवीन खसरा नम्बर क्या बने है, अपीलांट/वादी का उन खसरा नम्बरान् पर कोई हक है अथवा नहीं? इस संबंध में ना तो अपने वादपत्र में कोई उल्लेख किया गया। इस प्रकार अपीलांट/वादी द्वारा काल्पनिक आधार पर दावा प्रस्तुत किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है।

(5) जहॉ तक अपीलांट का कथन की अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व नियमानुसार तनकीयात् कायम नहीं की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब अपीलांट/वादी को बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के वाद प्रस्तुत करने का कॉज ऑफ एक्शन ही हासिल नहीं है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आदेश 7 नियम 11

सीपीसी के तहत अपीलांट/वादी का वाद खारिज करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30—12—2011 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर